



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 137]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 6, 2009/फाल्गुन 15, 1930

No. 137]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 6, 2009/PHALGUNA 15, 1930

कारपोरेट कार्य मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2009

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2009

सा.का.नि. 156(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 63 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (चयन समिति की अवधि और नामों के पैनल के चयन की रीति) नियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (चयन समिति की अवधि और नामों के पैनल के चयन की रीति) संशोधन नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (चयन समिति की अवधि और नामों के पैनल के चयन की रीति) नियम, 2008 के नियम 3 में, "एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर "एक वर्ष और छह मास" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 5/22/2007-आईजीसी/सीसी]

जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 111(अ), तारीख 27 फरवरी, 2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

G.S.R. 156 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 63 read with sub-section (2) of Section 9 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Competition Commission of India (Term of the Selection Committee and the Manner of Selection of Panel of Names) Rules, 2003, namely :—

1. (1) These rules may be called the Competition Commission of India (Term of the Selection Committee and the Manner of Selection of Panel of Names) Amendment Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Competition Commission of India (Term of the Selection Committee and the Manner of Selection of panel of Names) Rules, 2008, in rule 3, for the words "one year", the words "one year and six months" shall be substituted.

[F. No. 5/22/2007-IGC/CC]

JITESH KHOSLA, Jt. Secy.

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide G.S.R. 111(E), dated 27th February, 2008.